रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एण्ड चिट्स, उत्तर प्रदेश

कार्यालय : मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय

पत्रांक : 3209 .... A .... 20392 .... दिनांक 16/08/ 2016

श्री/श्रीमती .... सचिव

महोदय,

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 तथा यू० पी० सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1976 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु आपके पत्र सं०.. दि०.. के साथ प्राप्त आलेख्य निम्न निर्दिष्ट आपत्तियों के निराकरण हेतु वापस किया जा रहा है। शुद्ध आलेख्य पुन: प्रस्तुत करते समय कृपया इस पत्र का पूर्ण संदर्भ पत्र संख्या, दिनांक तथा पत्रावली संख्या अवश्य दें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि वांछित शुद्ध आलेख्य इस पत्र के जारी किये जाने के एक माह के भीतर ही इस कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया जाए। तीन माह से भी अधिक विलम्ब से उक्त प्रपत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में उन पर विचार करना संभव न होगा।

संलग्नक :

भवदीय

रजिस्ट्रार

स्मृति-पत्र

(क) मोटे व टिकाऊ कागज पर केवल एक ओर टंकित होना चाहिये [नियम 5(2)]।

(ख) शब्द ''स्मृति-पत्र'' सबसे ऊपर अंकित होना चाहिये।

(ग) प्रथम स्तम्भ में केवल संस्था का नाम होना चाहिये (धारा 2 तथा नियम 3)।

(घ) द्वितीय स्तम्भ में संस्था का पूरा पता होना चाहिये (धारा 2 तथा नियम 3)।

(ङ) तृतीय स्तम्भ में संस्था के सभी उद्देश्य सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 की धारा 1 तथा 20 के अनुसार साहित्यिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक तथा धमार्थ आदि होने चाहिये, व्यावसायिक नहीं।

(च) चतुर्थ स्तम्भ में कार्यक्षेत्र दिया जाना चाहिये-

(छ) पंचम स्तम्भ के अन्तर्गत शीर्षक (अ) निम्न शब्दों में होना चाहिए-

''संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पूरे पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया।''

इस शीर्षक के नीचे प्रबन्धकारिणी समिति की सूची (नाम, पता, व्यवसाय एवं पद) सहित देनी चाहिये (2 तथा नियम 5)।

(ज) छठा स्तम्भ में शीर्षक (इ) में निम्न शब्दों में होना चाहिए।

''हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।''

इस शीर्षक के नीचे संस्था बनाने के इच्छुक सभी सदस्यों के नाम, पता व हस्ताक्षर होना चाहिये (धारा-1 व 2 तथा नियम 3)।

(झ) यदि स्मृति-पत्र एक से अधिक पृष्ठों में आता है तो प्रत्येक पृष्ठ पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिये (हस्ताक्षर स्पष्ट होना चाहिए) [धारा एक नियम 3 व 5 (2)]।

(ञ) स्मृति-पत्र अन्त में दिनांकित होना चाहिये (नियम 3)।

(ट) प्रत्येक महत्वपूर्ण काटना, जोड़ना, ठीक करना, कम से कम एक हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित होना चाहिये (नियम 5) [2]।

रायजादा फाउण्डेशन

229 / 4 डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद

के प्रबन्धकारिणी समिति की

सूची वर्ष 2016–17

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्री चन्द्रशेषर सिंह	घटईपुर पो0 नरसिंहपुर कबरहा, फतेहपुर	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री ओम प्रकाश सिंह	229 / 4डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद	उपाध्यक्ष	फार्मासिस्ट
3.	श्री शिव प्रकाश सिंह	229 / 4डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद	सचिव	फार्मासिस्ट
4.	श्री शिवभवन सिह	22[illegible] 10 बी कालिन्दीपुरम [illegible] चौराहा, राजरूपपुर, इलाहाबाद	कोषाध्यक्ष	व्यापार
5.	श्री लक्ष्मी नारायण सिंह	15 / 21ए बलरामपुर हाउस, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद	सदस्य	इंजीनियर
6.	श्री अजीत सिह	ग्रा0 सरसौली पो0 कल्यानपुर, कचरौली, फतेहपुर	सदस्य	कृषि
7	श्रीमती ऊषा सिंह	229 / 4डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद	सदस्य	गृहणी
8	श्रीनती हेनलता सिंह	229 / 4 डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद	सदस्य	गृहणी
9	श्री आशुतोष सिंह	229 / 4डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद	सदस्य	मेडिकल

हेमलता सिंह

चन्द्रशेखर सिंह

अजीत सिंह

शिवभवन सिंह

B singh

ओमप्रकाश सिंह

Raizada Foundation
Secretary
Allahabad (U.P.)

सत्य प्रतिलिपि

19.9.16

संख्या– 4560

दिनांक– 31/12/2015

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण – पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या– 1587 / 2015–16

फाईल संख्या AL-20392

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **राय जादा फाउण्डेशन**

229/4डी जयन्तीपुर, सुलेम सरांय, इलाहाबाद

को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र संख्या– 720 / 2005–06

दिनांक 19.11.2005 को दिनांक 19.11.2015 से पॉच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1000 / – रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

दिनांक 29.12.2015

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

रायजादा फाउन्डेशन

स्मृति पत्र

1. **संस्था का नाम :-** रायजादा फाउन्डेशन
2. **संस्था का पता :-** 229/4डी जयन्तीपुर सुलेम सराय, इलाहाबाद
3. **संस्था का कार्यक्षेत्र :-** सम्पूर्ण भारत
4. **संस्था का उद्देश्य :-** संस्था का निम्नलिखित उद्देश्य होगा :-

1. जन साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक शैक्षिक तथा बौद्धिक विकास करना।
2. शैक्षिक विकास के लिए विद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना।
3. तकनीकी शिक्षा एवं चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
4. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण, टीका करण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, समाज कल्याण मंत्रालय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
5. राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की एतद् विषयक योजनाओं को लागू करना तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करना।
6. जनहितार्थ, चिकित्सालय, अनाथालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन करना।
7. मूक-बधिर, विकलांगो, नेत्रहीनों, मंदबुद्धि तथा निराश्रितो के उत्थान एवं कल्याण हेतु कार्य करना।
8. औषधीय वनस्पतियों को खेती करना ~~तथा औषधि निर्माण हेतु लघु उद्योग की स्थापना एवं संचालन करना~~।
9. ज्ञान वर्धन हेतु पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना तथा शोध पत्र, पत्रिका, पुस्तकों को प्रकाशित करना।
10. सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, खेल-कूद तथा वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
11. सोसाइटी अधिनियम-21, 1860 के अर्न्तगत सभी कार्य करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स
इलाहाबाद